

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

200

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....मीमा.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मीमा व भूअनि लौसल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीधामा की मीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 10 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>श्रीधामा जी ठणी</u>	<u>खासरा नम्बर - 850</u> <u>लगातार 859</u> <u>जिला - 10 कुल नम्बर</u> <u>4-23 ई0</u>	<u>लिखतान पुत्र अशु</u>	<u>लिखतान पुत्र</u> <u>देवा उर्फ अशु</u> <u>दर्ज करने के</u> <u>बाद के दिने पते</u> <u>किसी भी आगाह</u> <u>का स्वरूप न ले</u> <u>ले दर्ज करें</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 15/11/21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 503
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर